कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक-4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
Website - tribal.cg.gov.in ☎ - 2263708, Fax – 2262558 E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक / सा.स्था.-2 / 101 / 2016-17 / 9611 **नया रायपुर, दिनांक 28/12/16**

// आदेश //

कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मुख्यालय नया रायपुर में सीधी भर्ती अंतर्गत सहायक ग्रेड–3 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु व्यापम के माध्यम से आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रशासकीय विभाग से प्राप्त होने के उपरांत छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम 2013 में निहित प्रावधानों के तहत् निम्नलिखित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी सेवा में **सहायक ग्रेड–3 के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू0 5200-20200/- + ग्रेड वेतन रूपये 1900/- में निश्चित वेतन रूपये 5680 + 1900 = 7580/- प्रतिमाह** तथा अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय है, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	वर्ग	नियुक्ति का प्रवर्ग	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5
1	कु. पूर्णिमा बेदरे	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित (महिला)	कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर (छ.ग.)
2	श्री तरूण कुमार साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर (छ.ग.)
3	श्री नवेद्य चंद्रा	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर (छ.ग.)
4	श्री विनीत बेक	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति	कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर (छ.ग.)
5	श्री शिवकुमार भगत	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति	कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर (छ.ग.)

शर्तें:–

1. अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और उन्हें एक माह की अवधि में जितनी अवधि कम हो उस अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा ।
2. उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त–1 के अंतर्गत देय राशि उनसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

3. उम्मीदवारों द्वारा नियुक्ति के संबंध में दी गई जानकारी/अभिलेख असत्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
4. उपर्युक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति **चरित्र सत्यापन/मेडिकल बोर्ड से उपयुक्तता का प्रमाण पत्र** प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। चरित्र सत्यापन में अथवा मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शासकीय सेवा योग्य होने का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र कार्यग्रहण करने के 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
6. उपर्युक्त उम्मीदवारों को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी तथा उन्हें लिखित में यह प्रस्तुत करना होगा कि वे किसी राजनीतिक कार्यकलाप में भाग नहीं लेंगे अैर न ही किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार करेंगे।
7. **आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)** के जिन उम्मीदवारों ने अपने **जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति (संबंधित जिला)** से सत्यापित कराकर प्रस्तुत नहीं किये है, ऐसे उम्मीदवारों की यह नियुक्ति अनंतिम (Provisinal) है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्ययीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो, दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है, संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी। संबंधित उम्मीदवारों को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से **06 माह की समयावधि** में अपने जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. ऐसे उम्मीदवार, जो शासकीय नियोजन में सेवारत हैं, उन्हें कार्यभार ग्रहण करते समय नियोक्ता द्वारा प्रदत्त त्याग–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका कार्यभार ग्रहण स्वीकार नहीं किया जावेगा।
9. उपर्युक्त उम्मीदवारों की सेवाएं 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी तथा इस मध्य कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवा से पृथक करने पर विचार किया जा सकता है।
10. उपर्युक्त उम्मीदवारों द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से **15 दिन** की अवधि अर्थात 12.01.2017 तक अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जावेगा ।
11. यह "नियुक्ति" रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012 गुरूघासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी ।
12. उपर्युक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

28.12.16

(ईमिल लकड़ा)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / सा.स्था.-2 / 101 / 2016-17 / '9612 **नया रायपुर, दिनांक** 28/12/16

प्रतिलिपि :–

1. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, आदिम तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
3. **महालेखाकार,** जीरो प्वाइंट, बलौदाबाजार रोड़, रायपुर (छ.ग.)।
4. **निज सचिव,** आयुक्त / संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मुख्यालय नया रायपुर (छ.ग.)।
5. **प्रभारी अधिकारी,** विभागीय जांच / गोपनीय / भण्डार / लेखा / बजट शाखा मुख्यालय नया रायपुर (छ.ग.)।
6. **संयुक्त संचालक,** कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर (छ.ग.)।
7. **कोषालय अधिकारी,** इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
8. **आहरण एवं संवितरण अधिकारी,** कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मुख्यालय नया रायपुर (छ.ग.)।
9. **संबंधित** श्री .... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

28.12.16

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नया रायपुर, छत्तीसगढ़